

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व

चिताम्बा

भू अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील बीलवाड़ा
व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2013-76 में खाता संख्या 111, 391
में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के
आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|----------|-------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | चिताम्बा | 111,391 | गोपाल फि. जग्ह | गोपाल उर्फ भोपाल फि. जग्ह |

उपखण्ड अधिकारी पदेन
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 15/06/2022

क्रमांक/न्यायालय /2022 /130

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री गोपाल उर्फ भोपाल फि. जग्ह

उपखण्ड अधिकारी पदेन
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/327